जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 15 संख्याः 358 प्रभात चूरू, शनिवार 27 अप्रेल, 2024 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'मत पत्रों (बैलेट पेपर) को गिनने की पुरानी व्यवस्था, अब वापस नहीं आयेगी'

सुप्रीम कोर्ट ने ई.वी.एम. मशीन के पक्ष में सख्त व साफ निर्णय लिया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 अप्रेल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) में मतदाताओं द्वारा डाले गए वोटों का 100 प्रतिशत वी.वी.पी.ए.टी. (वी.वी.पैट) से सत्यापन कराने वाली मांग याचिका खारिज कर दी है इसके खारिज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगाए।

इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) में डाले गए वोटों को स्लिप से शत प्रतिशत क्रॉस वैरिफिकेशन वी.वी.पी.ए.टी. करने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक पर जबरदस्त हमला बोला, ज्ञातव्य है कि विपक्ष अक्सर चुनाव में ई.वी.एम. की प्रणाली पर सवाल उठाता रहा है। कांग्रेस ने मोदी के हमले के जवाब में कहा कि, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से एक बात पूछना चाहता है कि एस.के. अडवानी ने भाजपा के एक नेता जी.वी.एल. नरसिम्हा राव द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया था जिसमें ई.वी.एम. की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया था, क्या अडवानी गलत थे।

- प्र.मंत्री मोदी ने इस निर्णय की प्रशंसा की और कहा कि, कांग्रेस सरकारों ने कई दशकों तक सही मतदान नहीं होने दिया था, ''बूथ कैप्चरिंग'' होती थी तथा मतदाता को वोट डालने के लिये घर से निकलने नहीं दिया जाता था। पर, निर्धन व ईमानदार वोटर के पास ई.वी.एम. की ताकत है और विपक्ष न्यायालय का सहारा लेकर इस ताकत को नष्ट करना चाहता था।
- कांग्रेस ने पलट वार करते हुए कहा, क्या भाजपा नेता एल.के. अडवानी गलत थे, जब उन्होंने भाजपा समर्थक लेखक जी.वी.एल. नरसिम्हा राव की किताब का विमोचन किया था, जिस किताब में ई.वी.एम. मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाये गये थे।
- कांग्रेस ने यह भी कहा कि, गुजरात के मु.मंत्री के रूप में मोदी जी ने ई.वी.एम. मशीन का भरपूर विरोध किया था।

मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि, ई.वी.एम. के बारे में जनता के मन में शंका उत्पन्न करके प्रत्येक विपक्षी नेता ने ''महा पाप'' किया है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में एक रैली में भाषण देते वक्त कहा कि याचिका खारिज होने से ''विपक्ष के सपने चकनाचूर हो गए हैं।'' लोकसभा के सात चरणों वाले चुनावों की श्रृंखला में आज देशभर में द्वितीय चरण के मतदान में 88 सीटों पर वोट डाले गए।

पी.एम. मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि, इन्होंने दशकों तक लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया। मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना एक सामान्य बात थी....यहां तक कि ये लोग जनता को वोट देने के लिए घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे.....अब जब कि गरीब और ईमानदार मतदाता के पास ई.वी.एम. की ताकत है तो वो सब मिलकर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाटी के भाई को चेतावनी

जैसलमेर, 26 अप्रेल (नि.सं.)। बाड़मेर- जैसलमेर लोकसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के भाई को जैसलमेर पुलिस ने जिले से बाहर का मतदाता होने का हवाला देते हुए आचार संहिता के तहत जिला छोड़ने की हिदायत दी। आरोप है कि वे फतेहगढ़ पंचायत समिति के क्षेत्र में मतदाताओं को परेशान कर रहे थे।

- जैसलमेर पुलिस ने बाड़मेर-जैसलमेर सीट के निर्दलीय प्रत्याशी रविन्द्र सिंह भाटी को जिला छोड़ने की चेतावनी दी, क्योंकि उन पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप है। भाटी के भाई क्षेत्र के मतदाता भी नहीं हैं।

लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर -जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविन्द्र सिंह भाटी का भाई जैसलमेर का वोटर नही है और जैसलमेर में जगह -जगह घूम कर मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने भाटी के भाई से अपील की कि आप तुरंत इस जिला से बाहर चले जावे, आपका यहाँ पर रहकर मतदाताओं को प्रभावित करना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, अन्यथा आपके खिलाफ विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

बाड़मेर में प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट और फ़र्ज़ी वोटिंग

तमाम घटनाओं के बीच क्षेत्र में 69.79 प्रतिशत मतदान हुआ

बाड़मेर, 26 अप्रेल (निसं)। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बाड़मेर -जैसलमेर लोकसभा सीट पर मतदाताओं ने बंपर वोटिंग की। इस लोकसभा क्षेत्र में 69.79 प्रतिशत मतदान हुआ।

मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर दर्जनों जगहों पर पोलिंग एजेंटो के साथ मारपीट, अभद्रता, फर्ज़ी मतदान, बूथ कैप्चरिंग और समर्थको के आपस में भिड़ने आदि की जानकारी सामने आई। लोगों ने सोशल मीडिया पर घटनाओं के वीडियो साझा कर पुलिस और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई का निवेदन किया। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया।

पुलिस ने तुरंत घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी। इस बीच जोधपुर रेंज के आई.जी. विकास कुमार भी बाड़मेर पहुंचे। उन्होंने बताया कि चार -पांच जगहों पर विवाद हुआ, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की। कहीं पर भी मतदान बाधित नहीं हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने बताया कि सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के साथ ही कंट्रोल रूम से पूरी नज़र रखी जा रही थी। कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाओं के चलते आंशिक रूप से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद ही दर्जनों जगहों पर पोलिंग एजेंटों के साथ मारपीट, बदसलूकी व फर्जी मतदान, बूथ कैप्चरिंग की खबरें और वीडियो आने लगे।
- पुलिस ने घटनाओं का संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही शुरू की, जल्दी ही जोधपुर रेंज के आई.जी. विकास कुमार भी बाड़मेर पहुंचे। उन्होंने बताया कि, 5 जगहों पर विवाद हुआ था, पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की, जिससे मतदान बाधित नहीं हुआ।
- बायतू के कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने तमाम घटनाओं पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर निर्वाचन अधिकारी के चैम्बर में धरना भी दिया। निर्दलीय प्रत्याशी रविन्द्र भाटी ने हरीश चौधरी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया।
- दोपहर बाद शिव में एक बूथ पर रविन्द्र सिंह भाटी व कांग्रेस के उम्मेदाराम बेनीवाल के समर्थकों में भिड़ंत हो गई और आधा घंटे तक मतदान भी रूका रहा।

जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा धरने पर बैठे

उचियारड़ा का आरोप है कि, बी.जे.एस. कॉलोनी के एक बूथ पर उनके बेटे के साथ धक्का-मुक्की की गई

जोधपुर, 26 अप्रेल (कासं)। छुट-पुट घटनाओं के साथ जोधपुर में लोकसभा महापर्व का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा का भविष्य मत पेटियों में कैद हो गया। चुनाव आयोग से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जोधपुर में कुल 63.30 प्रतिशत वोटिंग हुई है।

एक घटनाक्रम में बी.जे.एस. कॉलोनी स्थिति एक बूथ पर करण सिंह उचियारड़ा के बेटे के साथ धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद उचियारड़ा और उनके समर्थकों ने बी.जे.एस. कॉलोनी के पोलिंग बूथ पर हंगामा कर दिया। उसके बाद बड़ी संख्या में उचियारड़ा के समर्थक बूथ पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। करणसिंह उचियारड़ा ने बताया कि, उसके बेटे के साथ आठ दस लोगों ने मारपीट की है, जिसके विरोध में धरने पर बैठे हैं और जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा, वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। समाचार लिखने तक वे अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए थे।

- उचियारड़ा ने कहा कि, आरोपी युवकों पर कार्यवाही होने तक, वे धरना समाप्त नहीं करेंगे।
- जोधपुर में मतदान का दिन कई लोगों ने खास अंदाज में मनाया। एक ही परिवार की 5 पीढ़ी के लोग एक जैसी सजधज के साथ वोट डालने पहुंचे। परिवार के सभी पुरूषों ने राजस्थानी साफा लगाया था और महिलाओं ने चुनरी की साड़ी पहनी थी।
- क्षेत्र में कुछ जगहों पर मामूली टकराव तो देखा गया, पर कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।
- जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 58.35 प्रतिशत मतदान होने की खबर है। यहां से भाजपा की तरफ से केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मैदान में हैं।

घटना की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल भी वहां पहुंचा।

एक और घटनाक्रम में शहर के जालम सिंह का हत्या के एक बूथ पर दो वोटर आपस में भिड़ गए।

जोधपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान आज सुबह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दूसरे चरण में देश भर में करीब 61 प्रतिशत मतदान

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (वार्ता)। उत्तर-पश्चिम भारत में बढ़ती गर्मी के बीच लोक सभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को 88 सीटों पर करीब 61 प्रतिशत वोट डाले गये।

बारह राज्यों और केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर की कुल 88 सीटों पर मतदान का कुल प्रतिशत पहले चरण से भी कम रहा। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में मतदान का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से काफी कम रहा

- बारह राज्यों और जम्मू-कश्मीर की कुल 88 सीटों पर मतदान का कुल प्रतिशत पहले चरण से भी कम रहा।

जबकि जबकि त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर में 70 से लगभग 79 प्रतिशत के दायरे में मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के रात सात बजे तक के मतदान के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 54.83 प्रतिशत, बिहार में 54.91 प्रतिशत महाराष्ट्र में 54.34 प्रतिशत और मध्यप्रदेश में 56.60 प्रतिशत वोट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'क्या जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं?'

हाईकोर्ट में इस मामले में पर 29 अप्रेल को 11 बजे सुनवाई होगी

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 26 अप्रेल। राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं गिने जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर न्यायाधीश समीर जैन की अदालत के समक्ष 29 अप्रेल सुबह 11 बजे सुनवाई की जायेगी। इस मामले की पेचीदगी को देखते हुए अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के सभी सदस्य वकीलों, जो इस मामले से संबंधित कानूनी तर्क वितर्क पर जिरह करने और कानूनी पक्ष रखना चाहते हैं, को भाग लेने के लिये कहा है। इस मामले में के.के. गुप्ता तथा चार अन्य याचिकाकर्ताओं ने जे.वी.वी.एन.एल. के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश समीर जैन ने 3 अप्रेल को यह आदेश पारित किया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की कॉज लिस्ट में इस संबंध में नोटिस भी दिया गया है।

- न्यायाधीश समीर जैन की अदालत ने मामले की पेचीदगी को देखते हुए हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के सभी सदस्य वकीलों, जो इस मामले से संबंधित कानूनी तर्क वितर्क पर जिरह करने और कानूनी पक्ष रखना चाहते हैं, को भाग लेने के लिये कहा है।

जैसा कि विदित है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम तथा अन्य सरकारी निगमों, जिनमें सरकार की 100 प्रतिशत भागीदारी होती है और यह निगम पूर्णतया आमजन को सेवाएं मुहैया कराने का काम करते हैं, परंतु उनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता और वे राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल (रैट) के समक्ष अपनी सेवाओं से संबंधित मामले नहीं दायर कर सकते। गौरतलब है कि उक्त सभी निगमों को सुप्रीम कोर्ट के 1979 में दिये गये फैसले के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत 'स्टेट' (राज्य) की परिभाषा में गिना जाता है, यानि सभी सरकारी निगम, कंपनी, विश्वविद्यालय व स्कूल को राज्य की परिभाषा में ही गिना जाता है और इन संस्थानों के द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष के विधिक या मूल अधिकारों को बाधित किया जाता है, तो इन संस्थानों के खिलाफ वह व्यक्ति हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर कर राहत की गुहार कर सकता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, खाद्य निगम और नगर निगम को स्वायत्तशासी संस्था माना जाता है, परंतु इन संस्थाओं/कंपनियों को संचालित करने के लिये आई.ए.एस.या आर.ए.एस. अफसरों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। गौरतलब है कि क्योंकि यह संस्थान विभाग की श्रेणी में नहीं आते, इन संस्थाओं में प्रतिनियुक्त अफसरों को विभाग में कार्यरत होने के दौरान मिलने वाले वेतन व अन्य सुविधाओं में कटौती होती है। परंतु इनमें कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों पर विभागों में कार्यरत अधिकारियों से ज्यादा कार्यभार होने के वाबजूद वे रैट में अपनी सेवाओं से संबंधित मामले दायर नहीं कर सकते, क्योंकि रैट के नियम इन्हें ऐसा करने से रोकते हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में इसी संबंध में अनिल पारीक द्वारा दायर की गई अपील में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश दिये थे कि निगमों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। कर्मचारियों के सेवाओं से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रमना दयानंद शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के मामले में 1979 में दिये गये फैसले के अनुसार सरकारी कंपनी भी अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत राज्य की परिभाषा में ही आती है। इस फैसले ने निगमों के कर्मचारियों के दर्जे के संबंध में अंतर्विरोध की स्थिति उत्पन्न की है।

'नोटा को बहुमत मिला तो नया चुनाव हो'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 अप्रेल। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के संदर्भ में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में अनुरोध किया गया था कि वोटिंग मशीन में यदि ''नन ऑफ द अबोव'' (एन.ओ.टी.ए.) अर्थात ''नोटा'' ऑप्शन बहुमत में आता है तो नए सिरे से चुनाव करवाए जाएं।

- सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त मांग के सम्बंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस भेजा।

याचिका में यह मांग भी की गई कि ऐसे नियम बनाए जाएं कि नोटा से कम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को अगले पांच साल के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दूसरे चरण में राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर 64.60 प्रतिशत मतदान हुआ

जबकि वर्ष 2019 में इन्हीं सीटों पर 68.42 प्रतिशत वोटिंग हुई थी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 26 अप्रेल । लोकसभा चुनाव 2024 के द्वितीय चरण में राजस्थान के 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रवार को 64.60 प्रतिशत मतदान हुआ। वर्ष 2019 में इन क्षेत्रों में 68.42 प्रतिशत मतदान हुआ था। टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां लोकसभा सीट पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। इसमें ई.वी.एम. के जरिए 64.11 फीसदी वोट डले, जबकि पोस्टल बैलेट के माध्यम 0.49 प्रतिशत मतदान हुआ।

उपरोक्त 13 निर्वाचन क्षेत्रों में 28 हजार 758 मतदान केन्द्र बनाए गए थे, जिन पर नव विवाहित जोड़ों, दिव्यांग, थर्ड जेंडर, आदिवासियों, वृद्धों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक वोट डाले। प्रदेश के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 4 जून को मतगणना की जायेगी। ज्ञात रहे कि प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसमें 58.28 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। अगर दोनों चरणों में 25 सीटों पर हुए मतदान का कुल प्रतिशत देखा जाए तो यह करीब 61.60 फीसदी दर्ज हुआ है।

- सबसे ज्यादा 74.25 प्रतिशत मतदान बाड़मेर में दर्ज हुआ, यहां वर्ष 2019 में 73.30 प्रतिशत वोटिंग हुई थी।
- कोटा में भी इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 70.22 प्रतिशत मतदान हुआ था, पर इस बार 71.42 प्रतिशत वोटिंग हुई।
- प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों में 28,758 पोलिंग बूथ बनाए गए थे।
- 19 अप्रैल को हुए पहले चरण में 58.28 प्रतिशत और दूसरे चरण में 64.60 प्रतिशत मतदान हुआ। इस हिसाब से प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर 61.60 प्रतिशत मतदान हुआ है।

लोकसभा क्षेत्र	वर्ष 2024	वर्ष 2019
टोंक-सवाईमाधोपुर	56.55 %	63.44 %
अजमेर	59.22 %	67.32 %
पाली	56.80 %	62.98 %
जोधपुर	63.30 %	68.89 %
बाड़मेर	73.68 %	74.25 %
जालौर	62.28 %	65.74 %
उदयपुर	64.01 %	70.32 %
बांसवाड़ा	72.24 %	72.90 %
चित्तौड़गढ़	67.83 %	72.39 %
राजसमंद	58.01 %	64.87 %
कोटा	70.82 %	70.22 %
भीलवाड़ा	60.10 %	65.64 %
झालावाड़-बारां	68.72 %	71.96 %

गुप्ता ने बताया कि, दूसरे चरण वाले 13 लोकसभा क्षेत्रों में 64.6 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। इसमें पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया गया 0.49 प्रतिशत मतदान भी शामिल है। पोलिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद 27 अप्रैल तक ही मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि, शाम 6 बजे तक भी कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी थीं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदाता बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचने लगे। दिनभर मतदान केंद्रों पर हंसते-मुस्कराते, उत्साह से लबरेज मतदाताओं का तांता लगा रहा। प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए 4 जून को मतगणना होगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बालेन्दु और अमीन खान कांग्रेस से निष्कासित

जयपुर 26 अप्रेल । राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की शिकायत के आधार पर पूर्व विधायक अमीन खान और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव बालेंदु सिंह शेखावत को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है।

- जालौर-सिरोही के प्रत्याशी की शिकायत पर बालेन्दु शेखावत और बाड़मेर-जैसलमेर सीट के प्रत्याशी उम्मेदराम की शिकायत पर अमीन खान को निष्कासित किया गया है। बालेन्दु पूर्व स्पीकर दीपेन्द्र सिंह शेखावत के पुत्र हैं।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने जालौर सिरोही से उम्मीदवार वैभव गहलोत की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)